बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 3

बुधवार, तिथि 24 फाल्गुन, 1938 (श.)
15 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 13

1.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	02
2.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	02
3.	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	05
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा, बीस सूत्री कार्यक्रम, निगरानी एवं नागरिक विमानन)) विभाग	-	-	01
5.	सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	01
6.	पर्यटन विभाग	-	-	01
7.	आपदा प्रबंधन विभाग	-	-	01
			कुल योग	– 13

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

अ-78. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना के ग्राम सपहेरिया (फुलवरिया) के पूर्व सैनिक महेश चन्द्र झा को सरकार द्वारा दो एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन खाता सं.-432, खेसरा सं.-3256, मौजा फुलवरिया, थाना सुगौली को सेट्लमेन्ट के आधार पर केवल जोत एवं उत्पादन कर भरण-पोषण के लिए दी गई थी, महेश चन्द्र झा, पूर्व सैनिक द्वारा उक्त सरकारी जमीन अवैध ढंग से केशव प्रसाद मिश्र, भखलिया निवासी को बेच दी गई, जबकि उक्त जमीन की बिक्री करने का अधिकार राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, सुगौली, पूर्वी चम्पारण ने अपने पत्रांक 518/गो., दिनांक 04.07.2016 के माध्यम से अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी को अवगत कराते हुए रद्द करने तथा विषय को महत्वपूर्ण बताया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध सरकारी भूमि गैरमजरूआ जमीन की बिक्री को रद्द करने तथा अवैध बिक्री कराने वाले पर कार्रवाई कर सैनिक को न्याय दिलाने तथा बिक्री को रद्द कर पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भू-माफियाओं एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई

86. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मोतिहारी में हनुमान सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. (मोतिहारी चीनी मिल) स्थित है जो पूर्णत: बंद हो चुका है जिसकी जमीन बैरिया फुलवारी के नाम से 45 एकड़ के लगभग है जिसके मालिक श्री विमल नोपानी जी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन की अवैध बिक्री चीनी मिल के मालिक द्वारा निजी सम्पत्ति बता कर कुछ लोगों के द्वारा की गई और बिक्री को 1970-72 में जमीन का डीड निबंधन से लेकर दाखिल-खारिज भी कराया गया है, जो अवैध कागजात के आधार पर उक्त भूखंड पर जमीन के माफियाओं द्वारा कब्जा करने की साजिश की जा रही है;

अ- दिनांक 08 मार्च, 2017 ई. से स्थगित।

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोतिहारी बैरिया फुलवारी की जमीन की बिक्री का अवैध दाखिल-खारिज 1970-72 में करने वाले निबंधन पदाधिकारी, मोतिहारी, अंचलाधिकारी, सदर मोतिहारी तथा कर्मचारी द्वारा दी गई दाखिल-खारिज की जांच 1970-72 और तत्कालीन पदाधिकारियों की लिखावट-स्याही का एफ.एस.एल. (फोरेंसिक साईंस लेबोरेटरी) विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कराकर भूमाफियाओं एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदाधिकारियों / कर्मचारियों पर कार्रवाई

87. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि देश में 3 लाख राशन दुकानों को इलेक्ट्रोनिक व्हाइट ऑफ सेल (इ.ओ.पी.एस.) में बदलने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें बिहार में कुल 55000 राशन दुकानें हैं, तत्काल मात्र 42000 ही कार्यरत हैं, केन्द्र सरकार 55 करोड़ टन खाद्यान्न नेशनल फूड सिक्यूरिटी स्कीम के तहत अनाज देती है, इसमें बिहार का हिस्सा 54.84 लाख है, जिसमें गेहूं 21.936 लाख टन, 32.904 लाख टन चावल है, राज्य में 1.54 करोड़ राशन कार्ड हैं और 8.57 लाख लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिलता है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में 10 लाख फर्जी राशन कार्ड का खुलासा हुआ है, जिसमें एक साल में 777 करोड़ रुपये सब्सिडी की बंदरबांट कर ली गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नाला एवं सड़क का निर्माण

88. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना के पुरानी जक्कनपुर स्थित जनता रोड एवं रामदयालु पथ को ऊंचा कर सड़क-निर्माण कार्य कराया गया है लेकिन जनता रोड के वीरकुंवर सिंह रोड नम्बर-1 होते हुए रामदयालु पथ को जोड़नेवाले पथ का सड़क-निर्माण कार्य नहीं कराये जाने से वीरकुंवर सिंह पथ संख्या-1 काफी नीचे हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वीरकुंवर सिंह पथ संख्या-1 काफी नीचे होने से खंड (क) में वर्णित पथ का दूषित पानी इस पथ में जमा रहता है जिससे घनी आबादी वाले लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनता रोड एवं रामदयालु पथ को जोड़ने वाले वीरकुंवर सिंह पथ संख्या-1 को ऊंचा कर नाला निर्माण कार्य सहित सड़क-निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

लाइट की व्यवस्था ध्वस्त

89. **श्री विनोद नारायण झा** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट अधिष्ठापन पर 20 करोड़ से अधिक रुपये का व्यय हुआ है परन्तु ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है, यदि हां तो इसका क्या औचित्य है?

अधिकारियों को अतिरिक्त भत्ता कबतक

90. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि निगरानी विभाग के अधिकारियों को ट्रैप एवं सर्च केस में प्राय: रात-रात भर काम करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि उन्हें उक्त अतिरिक्त कार्यों के लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर एस.टी.एफ. के अधिकारियों को एक ही प्रकार के कार्यों के लिए 60% एवं 50% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने का प्रावधान है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निगरानी विभाग के अधिकारियों को कम से कम 30 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदनाम परिवर्तित कबतक

91. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि प्रखंड अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक की नियुक्ति एकल पद के रूप में जारी विज्ञापन के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी (बी.टेक) को प्राथमिकता से की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों को आर.टी.पी.एस. के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के अलावा प्रखंड एवं अनुमंडल कार्यालय के वेबसाइट अपडेशन, आई.टी. संबंधित सम्पूर्ण महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि आई.टी. संबंधित किसी भी तकनीकी कार्य की समीक्षा एवं त्वरित निष्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों द्वारा एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि पदनाम में सहायक शब्द जुड़े रहने के कारण वेबसाइट के अपडेशन एवं अन्य जरूरी डाटा एवं आर.टी.पी.एस. से संबंधित प्रतिवेदन ससमय लेने में कठिनाई होती है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनके पदनाम परिवर्तित कर उप आई.टी. प्रबंधक या आई.टी. प्रबंधक करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क अतिक्रमण से मुक्त

92. **श्री सूरज नन्दन प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कंकड़बाग के अशोक नगर स्थित रामदेव मंदिर से चांगड़ होते हुए न्यू बाइपास तक जानेवाली सड़क की चौड़ाई को पटना के मास्टर प्लान 2031 में 90 फीट रखा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' पर वर्णित सड़क की वर्तमान चौड़ाई मात्र 16 फीट है और वह भी अतिक्रमित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर वर्णित सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने तथा इसकी चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

वार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की कार्रवाई

93. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा कानून पर अमल में लापरवाही पर केन्द्र सरकार ने विभाग को पत्रांक 23(5)2015-comp cell, दिनांक 05.01.17 के द्वारा 31 मार्च तक राज्य के 1.64 करोड़ लाभुकों का आधार सीडिंग सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया है तथा निर्देश पर अमल नहीं होने पर अनाज का आवंटन रोका जा सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में 76% लोगों को आधार नम्बर मिल चुके हैं लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण मात्र 5.13% लोगों को ही राशन कार्डों के आधार नंबर से जोड़ा जा सका है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में लोगों के राशन कार्ड में आधार नंबर नहीं जुड़े होने के कारण रियायती दर वाले राशन के अनाज की भारी चोरी हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के लोगों को राशन का अनाज मिल सके, इसके लिए राशन कार्डों को आधार नंबर से जोड़ना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सौन्दर्यीकरण कबतक

94. **श्री टुन जी पाण्डेय** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिलान्तर्गत सीवान प्रखंड में बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर के रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण की स्थति काफी खराब है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित मंदिर का सौंदर्यीकरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कूड़ा डैम्प को अन्यत्र संगृहीत

95. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि चालीस सेट ऑफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, पटना के आवास संख्या-65/40 से 76/40 तक भवन निर्माण एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग का कार्यालय संचालित है, लेकिन इस कार्यालय के पीछे पुनाईचक मुहल्ला की तरफ से रोड नं.-10 पर गंदगी का ढेर लगे रहने से दुर्गंध के कारण कार्यालय के कार्य में बाधा होती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आवास के पीछे गंदगी के ढेर, जिसमें पुनाईचक सब्जी बाजार की गंदगी तथा मरे जानवरों के शव पड़े रहते हैं, के आस-पास अनुसचिवीय आवास भी स्थित है और इसमें परिवार के साथ रहने वाले आवासियों को नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोड नं.-10 पर से कूड़ा डैम्प को हटाकर अन्यत्र संगृहीत करने, जर्जर पथ एवं इससे संलग्न नाली का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त करते हुए नाले की सफाई

96. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि 31/10, बेली रोड, राजवंशी नगर, पटना के आवास के पीछे बने नाला पर अतिक्रमण है, जिसकी वजह से नाला की सफाई नहीं हो पाती है;

(ख) क्या यह सही है कि नाला की सफाई नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में रास्ता और आस-पास के आवासों में पानी जमा हो जाता है, वर्तमान में पानी के जमाव से मच्छर का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित आवास के पीछे के नाला को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए इसकी सफाई अविलंब कराना चाहती है?

प्रचार-प्रसार कबतक

97. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में आपदा प्रबंधन निष्प्रभावी है, कभी कोसी की मार, कभी भूकंप, तो कभी बाढ़ एवं सुखाड़ से लोग परेशान रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) रोड मैप बनाना आवश्यक है, आपातकालीन संचालन केन्द्र (इ.ओ.सी.) की भी आवश्यकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार में आपदा प्रबंधन पर काम कर रही है, प्रचार-प्रसार की क्या योजनाएं हैं, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 15 मार्च, 2017